(140)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 906–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–2–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 162/निगरानी/2009–10.

.....

विष्णुप्रसाद पिता नाथुलाल कलाल
निवासी ग्राम उमरबन तहसील मनावर जिला धार

..... आवेदक

विरूद्ध

नानडिया पिता रूगनाथ तर्फे वारिस
1–छगन पिता नानडिया जाति भीलाला
2–लक्ष्मण पिता नानडिया मृत तर्फे वारिस
अ–रीमती लक्ष्मणीबाई पति स्व0लक्ष्मण
ब–भुरेसिंह पिता लक्ष्मण
स–संजुबाई पिता स्व. लक्ष्मण
द–सुंदर पिता स्व0लक्ष्मण
ई–गुड्डी पिता स्व.लक्ष्मण
निवासी ग्राम उपडी तहसील मनावर जिला धार
3–सुखलाल पिता नानडिया मृत तर्फे वारिस
अ–मनीबाई पति स्व0सुखलाल
ब–कु.नर्मादा पिता स्व.सुखलाल
स–कु0शीतल पिता स्व.सुखलाल
द–देवराज पिता स्व0सुखलाल
कमांक ब से द नाबालिग तर्फे पालनकर्ता माता मनीबाई
4–सैतुलबाई पति विल्मंड
5–जसौदाबाई पति गोपाल
6–पारूबाई पति कैलाश
सभी निवासी ग्राम उपडी तहसील मनावर जिला धार

.....अनावेदकगण

श्री विकांत होल्कर, अभिभाषक– आवेदक

श्री एच.एन.फडके, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः २७/९/१२ को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—02—2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि नानड़िया पिता रूगनाथ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह भिलाला जाति का होकर अनुसूचित जनजाति की सदस्य है एवं आवेदक सामान्य वर्ग की है उसे ग्राम उपड़ी स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 97 रकबा 1.702, सर्वे नम्बर 100 रकबा 0.709 एवं सर्वे नम्बर 101 रकबा 0.032 हेक्टेयर भूमि दत्तक पिता रघुनाथ से प्राप्त हुई है । वर्ष 1958—59 में मृतक रघुनाथ के स्थान पर उसके नाम भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज रहा । आवेदक साहूकारी का कार्य करता है और नानड़िया द्वारा उससे भूमि हाकने में मदद ली गई थी जिसका लाभ लेकर बाला—बाला आवेदक द्वारा अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लिया गया है, जो निरस्त किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12—5—08 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदकगण को दिलाये जाने के निर्देश तहसीलदार को दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला धार के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30—1—09 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 12—5—2008 निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । प्रकरण प्रत्यावर्तित होकर प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 20—7—09 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि जो कि मंडावती तालाब के निर्माण में डूब में चली गई थी, के मुआवजे की राशि अनावेदक को प्रदान की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 21—1—10 को आदेश पारित कर

अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–2–12 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि तालाब के डूब में चली जाने से शासन का स्वामित्व हो गया है इसलिये संहिता की धारा 170(ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

(2) मुआवजा घोषित होने के बाद मुआवजा किस पक्ष को दिया गया इस बिन्दु का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं होकर भू–अर्जन अधिनियम की धारा 16 एवं 30 के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है ।

(3) संहिता की धारा 170(ख) के अन्तर्गत केवल यह जॉच करनी होती है कि अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ धोखा हुआ है अथवा नहीं । इस प्रकरण में यह जॉच कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि अनुसूचित जाति के साथ धोखाधड़ी नहीं हुई है । इस कानूनी पहलू को नजरअंदार किया गया है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह तथ्य पूर्णत प्रमाणित होने पर कि अनावेदकगण अनुसूचित जनजाति के साथ किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है और निरन्तर 35–36 वर्षो से आवेदक की भूमि पर कब्जा रहा है और अनावेदकगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से पूर्व में पारित समस्त आदेश अंतिम होकर अनावेदकगण पर बन्धनकारी हो गये है । इस वैधानिक बिन्दु पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता की धारा 170(ख)(1) के अन्तर्गत आवेदक द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है और कलेक्टर द्वारा अनावेदक के विरूद्ध आदेश पारित करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई थी जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(2) आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का अवैध प्रक्रिया के अन्तर्गत अपने नाम नामान्तरण करवा लिया गया था, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) आवेदक ने मूल प्रकरण में जबाव में तथा अपील के तर्क में एवं अपील रिमांड होने के उपरांत प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तथा अपने स्वत्व का आधार दर्शाने में आवेदक विफल रहा है इस कारण उक्त हस्तान्तरण के नामान्तरण की कार्यवाही में आदिवासी के साथ छल कपट हुआ होना प्रथमदृष्टया प्रमाणित होते हुये भी कलेक्टर के द्वारा अनावेदक के विरूद्ध आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई थी जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त किया गया है ।

(4) प्रश्नाधीन अंतरण बिना किसी दस्तावेज अथवा बिना किसी बैध अनुज्ञा के हुआ होना प्रमाणित होने के उपरांत भी अधीनस्थ कलेक्टर द्वारा उक्त अंतरण को बैध ठहरात हुये आवेदक की अपील स्वीकार कर जो आदेश पारित किया गया था वह अनुचित था इसलिये अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में वैधानिक कार्यवाही की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष साक्ष्य से यह प्रमाणित हुआ है कि आवेदक द्वारा छलकपटपूर्वक अनावेदकगण की भूमि पर अपना नाम दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा प्रकरण अ–6 मद में दर्ज कर मौरूषी हक के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का नाम दर्ज किया गया है, जबकि मौरूषी हक में भूमिस्वामी अधिकार देने का प्रकरण

अ–46 मद में दर्ज किया गया है जो कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है । इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा रहा हो, यह भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है जिसको निरस्त करने में अपर कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई थी, इसलिये अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रख जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–02–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर